राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय मंडलायुक्त (राजस्व)
संसदीय शाखा,
5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 152 राजस्व विभाग

दिनांक 08.08.2018

प्रश्नकर्त्ता का नाम : मान्नीय विधायक श्री जरनैल सिंह जी

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

क.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	यदि किसी कारणवश ई. स्टॉम्प पेपर इस्तेमाल न हो पाये तो इसको रिफंड करवाने की क्या प्रकिया है;	आवेदक को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बाण्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र के साथ रिफंड आवेदन पत्र के साथ आवेदन करना होता है। यदि कागजात सही पाये जाते है तथा आवेदन स्टैम्प पेपर खरीदने के 6 महीनों के अन्दर किया गया हो तो संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टैम्प, इंडियन स्टैम्प एक्ट के धारा 54 के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की कटौती के पश्चात रिफंड जारी कर सकता है।
ख)	यह रिफंड कितने दिनों में आ जाता है व इस पर क्या शुक्ल लागू होता है;	इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इंडियन स्टैम्प एक्ट के धारा 54 के अंतर्गत 10 प्रतिशत की कटौती के पश्चात रिफंड जारी किया जाता है।
ग)	दिल्ली के अलग अलग सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में ई. स्टॉम्प पेपर रिफंड के कितने मामले लंबित हैं;	ई स्टॉम्प रिफंड का कार्य सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस में नहीं एस.डी.एम./कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के ऑफिस में होता है। राजस्व मुख्यालय में दिनांक 01.08.2018 तक लंबित मामलों का विवरण निम्न है:– 1. ऐसे आवेदन जो स्टैम्प पेपर खरीदने के 6 महीनों के बाद किया गया हो – 395 2. ऐसे आवेदन जो स्टैम्प पेपर खरीदने के 6 महीनों के अन्दर किया गया हो – 198
घ)	समय से अधिक डिले के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं; और	यदि आवेदन में कोई कमी पायी जाती है तो प्रार्थी को विसंगति नोटिस जारी किया जाता है। जिसके पूर्ति के पश्चात कलेक्टर ऑफ स्टैम्प इंडियन स्टैम्प एक्ट में दिये गये प्रावधानों के अनुसार फैसला लेता है। इंडियन स्टैम्प एक्ट में रिफंड करने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गयी है।
ड)	क्या तय समय से अधिक डिले होने पर आवेदक को ब्याज दिया जाता है?	जी नहीं।

उप मण्डलीय दण्डाधिकारी (मुख्यालय)

P. R. KAUSHIK
Sub Divisional Magistrate-I (Hq)
Revenue Department
Govt. of NCT of Delhi
5, Sham Nath Marg, Delhi-110054